उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

प्रयागराज – 211 021

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के बैठक की कार्यसूची

बैठक संख्या	:	102
दिनाँक	:	09–03–2019
समय	:	मध्याह्न 12:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

कार्यसूची बिन्दु संख्या 101.12

विश्वविद्यालय में 03 एवं 05 वर्षों से कार्यरत प्रवक्ता/परामर्शदाता शैक्षणिक (संविदा) को शैक्षणिक कार्यों के लिए एक वर्ष में क्रमशः 05 एवं 07 दिन का कर्त्तव्यावकाश अवकाश अनुमन्य किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय में 03 एवं 05 वर्षों से कार्यरत प्रवक्ता/परामर्शदाता शैक्षणिक (संविदा) को शैक्षणिक कार्यों के लिए एक वर्ष में क्रमशः 05 एवं 07 दिन का कर्त्तव्यावकाश पूर्ण वेतन पर (एक बार में अधिकतम 02 दिनों का अवकाश देय होगा) दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में 03 वर्षों से कम अवधि से कार्यरत प्रवक्ता/परामर्शदाता शैक्षणिक (संविदा) को शैक्षणिक कार्यों के लिए 05 दिन (एक बार में अधिकतम 02 दिनों का अवकाश देय होगा) एवं 03 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत प्रवक्ता/परामर्शदाता शैक्षणिक (संविदा) को शैक्षणिक कार्यों के लिए 07 दिन (एक बार में अधिकतम 02 दिनों का अवकाश देय होगा) का कर्त्तव्यावकाश अवकाश अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 101.13

शासनादेश सं0 वे0आ0–2–3282/दस–62(एम)/2008 दिनांक 23.12.2010 एवं शासनादेश संख्या 12/2015–वे0आ0–2–183/दस–62(एम)/2008 दिनाँक 24 मार्च, 2015 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षणेत्तर कर्मचारी श्री इन्द्रजीत कुशवाहा, वाहन चालक को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य किये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी श्री इन्द्रजीत कुशवाहा, वाहन चालक द्वारा शासनादेश सं0 वे0आ0–2–3282/दस–62(एम)/2008 दिनांक 23.12.2010 एवं शासनादेश संख्या 12/2015–वे0आ0–2–183/दस–62(एम)/2008 दिनाँक 24 मार्च, 2015 **(संलग्नक 0 पृष्ठ संख्या** ....) के परिप्रेक्ष्य में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिनांक 23-12-2010 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 05(1) एवं **दिनाँक 24 मार्च, 2015** के शासनादेश के बिन्दु संख्या 07(1) के प्रावधान के अनुसार मा. कुलपति जी द्वारा तीन सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति गठित की गयी।

समिति ने शिक्षणेत्तर कर्मचारी श्री इन्द्रजीत कुशवाहा, वाहन चालक को उनके अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त एवं 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के आधार पर ए.सी.पी. के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय

4.	इस विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को सातवें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर वेतन एवं अन्य भत्तो का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 64/2018/1528/सत्तर–4–2018–21(4)/2018 दिनाँक 06–12–2018 द्वारा स्वीकृत अनुदान से अवगत होते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर विचार।	*"समिति ने शासनादेश दिनाँक 06–12–2018 का अवलोकन किया एवं यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित कार्मिको को सातवें वेतनमान के अनुसार दिनाँक 01–01–2016 से 30–09–2018 तक एरियर भुगतान किये जाने की संस्तुति की।"* वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./(38–102)/293/2019 दिनाँक 22–04–2019 द्वारा वित्त अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
5.	विश्वविद्यालय के निदेशको, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं समस्त प्रभारीयो का स्थायी अग्रिम रू0 5000/– एवं 3000 से बढ़ाकर रू0 10000/– किये जाने पर विचार।	*समिति ने निम्नलिखित स्थायी अग्रिम दिये जाने की सस्तुति की:–* *1. विश्वविद्यालय के निदेशक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष – रू0 10000/–* *2. समस्त प्रभारी – रू0 8000/–* वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।	निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./(38–102)/294/2019 दिनाँक 22–04–2019 द्वारा वित्त अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
102.05	विश्वविद्यालय में कार्यरत शोध सहायक, डॉ अनिल कुमार सिंह द्वारा असिस्टेन्ट प्रोफेसर का वेतनमान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में दिनाँक 12–10–2018 को दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार।	कार्य परिषद् ने प्रश्नगत प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./13/2019 दिनाँक 03–04–2019 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
102.06	विश्वविद्यालय के वाहन चालक के पद पर कार्यरत श्री दिनेश कुमार की मृत्यु के कारण उनके ज्येष्ठ पुत्र को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय	कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के वाहन चालक के पद पर कार्यरत श्री दिनेश कुमार की मृत्यु के कारण उनके ज्येष्ठ पुत्र को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर सेवायोजन प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्राँक ओ.यू./2073/2019 दिनाँक 06–03–2019 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 07–03–2019 की अनुशंसा को	निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ 2182/2019 दिनाँक 30–03–2019 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर श्री दीपान्शु कुमार भारतीया को नियुक्ति पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् श्री दीपान्शु

	के पत्राँक ओ.यू. /2073/2019 दिनाँक 06–03–2019 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनाँक 07–03–2019 की अनुशंसा पर विचार।	यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	कुमार द्वारा दिनाँक 30–03–2019 को कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है।
102.07	उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 359/सत्तर–1–2018 –16(51)/2018 दिनाँक 03 जनवरी, 2019, पत्र 123/सत्तर–1–2019– 16 (51)/2018 दिनाँक 07 फरवरी, 2019 एवं 124/सत्तर–1– 2019–16 (51)/2018 दिनाँक 07 जनवरी, 2019 जो क्रमशः डॉ. जी.एस.शुक्ल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज; प्रो0 सुधांशु त्रिपाठी, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज एवं डॉ. विनोद कुमार गुप्ता, उप निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की पूर्व सेवा को जोड़े जाने एवं वेतन संरक्षण किये जाने पर विचार।	कार्य परिषद् ने प्रश्नगत प्रकरण पर समिति गठित किये जाने एवं इस हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया।	निर्णयानुसार सम्बन्धित प्रकरण पर विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./439/2019 दिनाँक 16–05–2019 द्वारा मा. कुलपति जी ने एक समिति गठित की। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

प्रयागराज – 211 021

।।सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के बैठक की कार्यसूची

बैठक संख्या	:	102
दिनाँक	:	09–03–2019
समय	:	मध्याह्न 12:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

सम्बन्धित अभिलेखों सहित उपलब्ध कराया गया था जिसके सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पत्रांक 7137 गा0/का0बी0डी0ए0/2018.11.01 दिनाँक 01–11–2018 (संलग्नक 0. पृष्ठ संख्या . ...) द्वारा धनराशि रू. 3,83,564/– प्राधिकरण कोष में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करने एवं वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में अनाधिकृत निर्माण को वैध कराने के लिए **अन्य देय शुल्क** धनराशि रू. 2,29,206/– का भुगतान सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को किया जा चुका है एवं अवशेष **कम्पाउंडिंग शुल्क** धनराशि रू. 154357/– के भुगतान के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./1588/2018 दिनाँक 20–11–2018 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बरेली प्रखण्ड, बरेली को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अतः प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के बरेली परिसर में क्षेत्रीय कार्यालय के भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र न होने के कारण बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा उक्त निर्माण कार्य को रोके जाने के उपरान्त कृत कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 101.11

विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केन्द्रों को प्रक्रियात्मक शुल्क के रूप में दी जानी वाली धनराशि में से कर्मचारी कल्याण निधि (EWF) हेतु कटौती के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार

विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केन्द्रों को प्रक्रियात्मक शुल्क के रूप में दी जानी वाली धनराशि में से कर्मचारी कल्याण निधि (EWF) हेतु कटौती के निर्धारण किया जाना है।

अतः प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्य परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केन्द्रों को प्रक्रियात्मक शुल्क के रूप में दी जानी वाली धनराशि में से 03 प्रतिशत की कटौती करते हुए धनराशि कर्मचारी कल्याण निधि (Employee Welfare Fund) में जमा किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त धनराशि नियमित एवं संविदा कर्मचारियों के सहायतार्थ प्रयोग किया जाय व वाह्य एजेन्सी से कार्यरत कर्मचारियों हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

प्रयागराज – 211 021

।।सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् के बैठक की कार्यसूची

बैठक संख्या	:	**103**
दिनाँक	:	**20–07–2019**
समय	:	**अपराह्नः 3:00 बजे**
स्थान	:	**कमेटी कक्ष**

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।

2.	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में निर्मित आवासो के आवंटन के दृष्टिगत भवनो के आवंटन हेतु पात्रता एवं मासिक किराया आदि के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।		निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू. /(38–102)/290/2019 दिनाँक 22–04–2019 द्वारा वित्त अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।

"समिति ने प्रकरण पर विचारोपरान्त निम्नलिखित संस्तुतियां की :–

(A)

1. *विश्वविद्यालय के समस्त नियमित एवं संविदा शिक्षक एवं कर्मी किराये पर भवन आवंटन किये जाने हेतु अर्ह होंगे।*
2. *टाइप–1 का आवंटन चतुर्थ श्रेणी तथा टाइप–2 का आवंटन तृतीय श्रेणी कर्मियो को तथा टाइप–3 का शिक्षक संवर्ग को किया जाय।*
3. *नियमित शिक्षकों/कर्मियो को आवंटन किये जाने के पश्चात ही शेष भवनों के आवंटन हेतु संविदा शिक्षकों/कर्मियों के नामों पर विचार किया जाय।*
4. *आवंटन में वरिष्ठता का ध्यान रखा जाय अर्थात पहले नियुक्त शिक्षको/कर्मियो को पहले तथा बाद में नियुक्त शिक्षको/कर्मियो को बाद में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन के आधार पर आवंटन किया जाय।*
5. *प्रत्येक आवंटी से इस बात की लिखित सहमति ले ली जाय कि भवन के मूल ढाचे मे वे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करेगें और न ही किसी अन्य को भवन* **Sublet** *करेगें।*
6. *विद्युत उपभोग के सापेक्ष मासिक शुल्क, किराये के साथ लिया जाय।*
7. *जल–कर व सीवर कर के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाय एवं नगर निगम से सत्यापित करा लिया जाय।*
8. *आन्तरिक टूट–फूट, विद्युत एवं प्लम्बरिंग से सम्बन्धित मेन्टेनेन्स की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।*

9. टाइप–1 आवास रिक्त रहने की दशा में तृतीय श्रेणी कर्मी को भी आवंटित किया जा सकता है।

(B) फ्लैट रेन्ट (प्रतिमाह)

I. ऐसे शिक्षको/कर्मचारियों के लिए जिन्हें HRA मिलता है:

1. आबंटी शिक्षकों/कर्मचारियों को HRA का भुगतान नही किया जायेगा।

2. इसके अतिरिक्त मन्थली फ्लैट रेन्ट निम्नानुसार रखा जाय।

टाइप–1	टाइप–2	टाइप–3
रू0 210/–	रू0 450/–	रू0 690/–

II. ऐसे शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए जिन्हें HRA नही मिलता है उनसे प्रतिमाह किराया निम्नानुसार निर्धारित किया जाय:

टाइप–1	टाइप–2	टाइप–3
रू0 2000/–	रू0 3000/–	रू0 5000/–

वित्त समिति की अनुशंसा को विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार किया।

	3.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयो के अधिवक्ताओ का शुल्क पुर्ननिर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।		निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू. /(38–102)/291/2019 दिनाँक 22–04–2019 द्वारा वित्त अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।

"समिति ने विचारोपरान्त निम्नलिखित दरों की संस्तुति की"

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की संस्तुतिः–

1.	***जब मुकदमा बिना प्रति शपथ पत्र दाखिल हुए एडमीशन स्तर पर निर्णीत हो जाता है तो अधोलिखित भुगतान होगा–***			
			पूर्व में निर्धारित दर (रू0)	गठित समिति द्वारा निर्धारित दर (रू0)
	(i)	काउसंलिग फीस	–	3500/–
	(ii)	15 प्रतिशत लिपिकीय व्यय	–	525/–
2.	***प्रति शपथ पत्र दाखिल होने तथा मुकदमा निर्णीत होने पर अधोलिखित भुगतान होगा–***			

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेई गुड गवर्नेन्स चेयर स्थापित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित प्रस्ताव से अवगत हुई।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.16</u>

<u>विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016की अनुशंसाओं पर विचार</u>

विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 27–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016 की अनुशंसायें **संलग्नक** 33 **पृष्ठ संख्या** 591-595 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के 05 अध्ययन केन्द्रों, एक क्षेत्रीय केन्द्र, 01 उत्कृष्ट शिक्षक तथा एक–एक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को पुरस्कृत करने हेतु मानकों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनाँक 23–07–2016, 05–08–2016 एवं 24–08–2016की अनुशंसाओं को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 40.17</u>

<u>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत होना</u>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र संख्या F.No. 54-1/2016(DEB-II) दिनाँक 01 जुलाई, 2016 (**संलग्नक** 34 **पृष्ठ संख्या** 596-601) द्वारा Open & Distance Learning (ODL) mode के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2016–17 एवं 2017–18 के लिए शर्तों के साथ विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता प्रदान की गयी है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा इस विश्वविद्यालय को 94 कार्यक्रमों की मान्यता दिये जाने से अवगत हुई।

दिनाँक 21 सितम्बर, 2002 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक की कार्यवृत्तः

कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 21 सितम्बर, 2002 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति जी की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

1.	प्रो० डी०पी० सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आर०के० अग्रवाल	सदस्य
3.	प्रो० राम स्वरूप चतुर्वेदी	सदस्य
4.	प्रो० डी०सी० पन्त	सदस्य
5.	श्रीमती पी०एस० मोहन कर	वित्त अधिकारी
6.	डॉ० ए०के० सिंह (कुलसचिव)	सचिव

प्रारम्भ में कुलपति जी ने परिषद् के सदस्यों का स्वागत किया। इसके पश्चात् कुलपति जी ने दिनाँक 20 जुलाई, 2002 से अब तक विश्वविद्यालय द्वारा किये गये विशेष कार्यों जैसे जुलाई, 2002 में आयोजित सत्रान्त परीक्षा के सम्पन्न होने, सत्र अगस्त 2002-जुलाई 2003 में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या से अवगत कराना, विश्वविद्यालय के अध्ययन/सम्पर्क केन्द्रों के समन्वयकों की एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन, जुलाई 2002 परीक्षा के घोषित हो रहे परीक्षाफलों की सूचना, विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्य सामग्री तैयार किये जाने से सम्बन्धित कार्यों एवं अन्य विभिन्न निकायों की बैठकों की प्रगति के सम्बन्ध में सभी सदस्यों को अवगत कराया।

1. कार्य परिषद् ने दिनाँक 20-07-2002 को सम्पन्न अपनी पिछली बैठक के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।

2. कार्य परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनाँक 20-07-2002 में लिए गये निर्णयों पर विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत हुई।

3. कार्य परिषद् ने परिशिष्ट 01 (पृष्ठ संख्या 05) में उल्लिखित विश्वविद्यालय अवकाश-सूची वर्ष 2002 का अनुमोदन किया।

4. कार्य परिषद् ने सत्र अगस्त 2002- जुलाई 2003 के प्रवेश कार्य OMR पद्धति से कराये जाने और परीक्षा से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकृत कार्यों को आई.पी.ई.एम., इलाहाबाद से कराये जाने के सम्बन्ध में विचार किया।

   परिषद् अवगत हुई कि सत्र अगस्त 2002-जुलाई 2003 के प्रवेश एवं परीक्षा से सम्बन्धित कार्य पूरा करने हेतु रु० 55 प्रति छात्र की दर से काम करने के लिए आई.पी.ई.एम., इलाहाबाद तैयार है।

P.T.O.

12. कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं उनके पुत्र/पुत्रियों को पाठ्यक्रम शुल्क में छूट प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया।

निश्चय किया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं उनके पुत्र/पुत्रियों को विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेने पर कार्यक्रम शुल्क में 50% (पचास प्रतिशत) की छूट इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी नई दिल्ली की भाँति प्रदान किया जाय।

13. कार्य परिषद् ने कार्य सूची के अतिरिक्त अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत एक बिन्दु "कर्मचारियों एवं छात्रों की सुविधा के लिए अंशकालिक चिकित्सक नियुक्त करने सम्बन्धी प्रश्न" पर विचार किया।

निश्चय किया कि कर्मचारियों एवं छात्रों की सुविया के लिए विश्वविद्यालय में रु० 4,000 प्रति माह पर एक अंशकालिक चिकित्सक नियुक्त किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ०(ए०के० सिंह)
कुलसचिव